फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रुद्रप्रयाग

हल्लाश सिंह बनाम श्रीदाराम वगै

प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 111 मु० नं. 13/17 सन्

उ० प्र० राजस्व अधिनियम 1958

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
अपीलार्थी के मध्य सीमा ज्ञात चिन्ह पत्थरगाड़ी कराने का निवेदन किया गया। प्रा०-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलार्थी नं० 1 को अग्रिम नोटिस वाद मय प्रार्थना पत्र तामील किया गया। अपीलार्थी नं० 1 द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रा०-पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रा०-पत्र प्रार्थी व प्रतिवाद पत्र अपीलार्थी व पैरवीकार उपस्थित राजस्व निरीक्षक का आवश्योक्त किया। प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है पत्थरगाड़ी आदेश के पूर्व सीमाज्ञान करवाया जाना मानी जाए मगर ही द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रा०-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुद्रप्रयाग को आदेशित किया जाता है कि वह वादी/प्रार्थी के खर्चे पर प्रा०-पत्र के वर्णित भूमि का निष्पक्षतापूर्वक सीमा ज्ञान करावे। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी विवादित भूमि का सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार रुद्रप्रयाग के मध्य सीमाकन प्रक्रिया प्रा०-पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकारगण निर्णय हुआ। उभय दर्ज नकल के फैसले की एक नकल तहसीलदार रुद्रप्रयाग को	

5/7.10.2019

उपखण्ड अधिकारी
रुद्रप्रयाग